

# म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल (म.प्र.)

द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेसा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन- 462011, दूरभाष नं. 0755-2570424, फैक्स नं. 0755-2556619

क्र./एफ-27-1220/एड्स/उपार्जन/2018/ 525

भोपाल, दिनांक 20/2/18

## निविदा—प्रपत्र

(आईईसी अंतर्गत विभिन्न सामग्री मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु)

### कार्यालयीन उपयोग हेतु

निविदा की कीमत रुपये 50/- (रुपये पचास मात्र)	कार्यालय की पदमुद्रा:
---	-----------------------

### निविदा के उपयोग हेतु

अ.	फर्म का विवरण :-	:	
1-	फर्म का नाम	:	
2-	फर्म का पूर्ण पता	:	..... ..... ..... शहर.....जिला.....राज्य.....पिन..... .....
3-	फर्म का दूरभाष, मोबाइल नं. एवं ईमेल	:	दूरभाष नं..... मोबाइल नं.....
	फर्म का ईमेल आईडी	:	
4-	फर्म का पंजीयन क्रमांक	:	
5-	PAN No.	:	
6-	TAN No.	:	
7-	TIN No.	:	
9-	G.S.T. No.	:	
ब.	बैंक खाते की जानकारी	:	
1-	खाताधारक का नाम	:	
2-	बैंक का नाम	:	
3-	शाखा का नाम	:	
4-	आईएफएस कोड	:	
5-	खाता क्र.	:	

### वचन—पत्र

मैं श्री.....पुत्र श्री.....पता.....

.....पिन कोड.....दूरभाष/मोबाइल नं.....वचन

देता हूं कि मेरे द्वारा निविदा में दी गई नियम एवं शर्तें अनुसार मुद्रण कार्य न करने पर, निविदा की शर्तानुसार मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

गवाह के हस्ताक्षर

.....  
.....  
.....  
.....

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

.....  
.....  
.....  
.....

## निविदा प्रस्तुत करने की शर्तें एवं नियम

1. निविदा निम्नानुसार भरकर प्रस्तुत करें:-

### — तकनीकी, एवं अन्य आवश्यक जानकारी:-

कृपया तकनीकी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज पत्रक-1 में अंकित करते हुए तथा दस्तावेज संलग्न करते हुए, एक पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर “तकनीकी प्रस्ताव” अंकित करें।

### — वित्तीय जानकारी:-

कृपया केवल दरें पत्रक-2 में अंकित करते हुए, एक पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर “वित्तीय प्रस्ताव” अंकित करें।

इसके पश्चात् उक्त दोनों पृथक लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) को एक अन्य बड़े सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर लिफाफे के ऊपर “निविदा क्र., कार्य का नाम, एवं फर्म का नाम एवं पूर्ण पता दूरभाष सहित” अंकित करते हुए, प्रस्ताव इस कार्यालय के “परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल’ (म.प्र.) 462011” के पते पर दिनांक 13.03.2018 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में भेजें।

2. प्राप्त सील बंद प्रस्ताव को अंतिम तिथि 13.03.2018 को ही दोपहर 3:30 बजे समस्त उपस्थितों के समक्ष खोला जावेगा। (सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव खोले जावेगे, तकनीकी रूप से योग्य पाए गए निविदकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगे)
3. निविदा फार्म आवेदन शुल्क 50/- (रुपये पचास मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पक्ष में देय हो, के रूप में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे के बीच जमाकर, कार्यालय, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स भोपाल से प्राप्त किये जा सकेंगे।
4. यदि निविदाकर्ता इस समिति की वेबसाईट ([www.mpsacsbs.org](http://www.mpsacsbs.org)) से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग करता है तो उसे निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रुपये 50/- (राशि रुपये पचास मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि, जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से जारी होगा, संलग्न करना होगा। शासकीय संस्थाओं/विभागों/उपक्रम/निकाय के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
5. इस कार्य एवं शर्तों के संबंध में अंतिम तिथि के एक दिवस पूर्व तक स्पष्टीकरण/परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है। अतः निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वे अंतिम दिवस तक समिति की वेब साईट [www.mpsacsbs.org](http://www.mpsacsbs.org) अथवा समिति कार्यालय के सूचना पटल पर इस संबंध में जानकारी यदि कोई हो तो, उसके आधार पर ही निविदा में अपनी दरें प्रस्तुत करें।
6. निविदा में दरें देते समय आवश्यक टैक्स का भी पृथक से उल्लेख किया जाएं।
7. निविदा में किसी भी प्रकार की शर्तें अथवा काटपीट या ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर राईटिंग की स्थिति में उस स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए।
8. दरें साफ एवं स्पष्ट रूप से बिना कटिंग के अंकित की जावे। अंकों एवं शब्दों में लिखी राशि में अंतर होने की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को मान्य किया जावेगा। कुल राशि में भिन्नता की स्थिति में इकाई दर को मान्य किया जावेगा।
9. इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों एवं आपके द्वारा संलग्न किये गये समस्त सहपत्रों पर आपके फर्म के मालिक/पार्टनर /अधिकृत द्वारा हस्ताक्षर/मुद्रा (सील) भी होना चाहिए।
10. दरों का मूल्यांकन एवं कार्यादेश पृथक पृथक सामग्री अनुसार किया जावेगा।

11. यदि कोई प्रस्तावक निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व अपने प्रस्ताव की मांग करता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. यदि फर्म ने पूर्व में समिति में कार्य किया है एवं उसका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है तो चूनतम दर होने पर भी फर्म को नॉन रिसपांसिव किया जा सकता है।
13. जिन फर्मों को इस कार्यालय में विगत तीन वर्षों में किए गए कुल कार्य के भुगतान में से 5 प्रतिशत से अधिक राशि का कटौत्रा किया गया है उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय परियोजना संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
14. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने / निरस्त करने /आमान्य करने का अधिकार परियोजना संचालक मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल का होगा। आपको परियोजना संचालक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। परियोजना संचालक शर्त/शर्तों को शिथिल कर सकते हैं।
15. आपको परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
16. कार्य हेतु दरें, संलग्न दर प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। दर पत्रक में प्रस्तुत दरों के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. निविदा में अंकित शर्तों के अतिरिक्त दर प्रदायकर्ता द्वारा पृथक से अंकित की गई किसी भी शर्त पर कोई भी विचार नहीं किया जावेगा।
18. यदि आपके द्वारा वांछित जानकारी नियत समय में इस कार्यालय को नहीं दी है अथवा आपने ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस निविदा को अंतिम किए जाने के लिए आवश्यक है, गलत रूप से दी है अथवा छुपाई है अथवा नियत अनुसार सामग्री प्रदाय न करने पर आपका आदेश निरस्त कर दिया गया है तो आपको मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में एवं आगामी तीन वित्तीय वर्षों में जारी मुद्रण हेतु जारी निविदा/निविदा में भाग नहीं लेने दिया जावेगा अर्थात् इस अवधि में आपके प्रस्ताव पर कोई भी विचार नहीं किया जावेगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायलयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

### **अत्यावश्यक शर्त—**

**(जिसके अभाव में आपके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।)**

1. यदि निविदाकर्ता ने वेबसाईट ([www.mpsacsbs.org](http://www.mpsacsbs.org)) से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग करता है तो उसे निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 50/- (राशि रूपये पचास मात्र) का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि, जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से जारी होगा, संलग्न करना होगा।
2. प्रत्येक निविदाकर्ता को राशि रूपये 15,300/- (रूपये पन्द्रह हजार तीन सौ मात्र) की धरोहर राशि जमा करना आवश्यक होगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा की जा सकेगी, जो कि “परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल” के नाम से जारी होगा।
3. दर प्रदायकर्ता को सभी प्रकार की सामग्री मुद्रण हेतु दरें देना आवश्यक है।
4. दर प्रदायकर्ता को इस कार्य के लिए अधिकृत होना आवश्यक है, कृपया सक्षम अधिकारी की अनुमति की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्ताव के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें।
5. दर प्रदायकर्ता को मुद्रण कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष (2017–18) एवं विगत वित्तीय वर्ष (2016–17) में कम से कम कुल राशि रूपये 8 लाख के कुल आदेश विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त होना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राप्त आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6. निविदा के साथ संबंधित फर्म/प्रोपराईटर का पेन नंबर तथा जीएसटी नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव के साथ फर्म के लेटरहेड पर यह भी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा कि—“मेरी फर्म को किसी भी शासकीय/अद्वशासकीय/अशासकीय कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया है।” यदि किसी कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड किया गया हो तो उसकी जानकारी दे।
8. कार्यालय द्वारा जारी संपूर्ण निविदाप्रपत्र एवं सहपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के सहमति के रूप में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है

#### **परफॉर्मेंस सिक्युरिटी**

1. सफल निविदाकर्ता को आदेश जारी होने के 05 दिवस के भीतर आदेश मूल्य की 5 प्रतिशत की राशि की परफॉर्मेंस सिक्युरिटी, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एडस नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से जारी होगा, के रूप में इस कार्यालय में जमा करना होगा। यदि इस अवधि में राशि जमा नहीं की गई तो जारी आदेश निरस्त किया जा सकता है।
2. सफल निविदाकर्ता की परफॉर्मेंस सिक्युरिटी की वापसी अंतिम भुगतान के साथ—साथ /उपरांत की जावेगी।
3. निर्धारित अनुसार प्रक्रिया/कार्य पूर्ण न कर पाने/समय सीमा में कार्य न करने की स्थिति में अथवा यदि आपका आदेश इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो आपकी धरोहर राशि/ परफॉर्मेंस सिक्युरिटी जब्त कर ली जावेगी ।
4. उपरोक्त दोनों बिन्दुओं की स्थिति में संबंधित को वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक इस समिति द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जावेगा। इस आशय की सूचना अन्य विभागों को भी दी जा सकती है।
5. यदि कोई आंशिक सामग्री मुद्रित कर प्रदाय नहीं की जाती है तो उस सामग्री हेतु पत्रक—3 में निर्धारित धरोहर राशि/इस सामग्री की निर्धारित परफॉर्मेंस सिक्युरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. सफल निविदाकर्ता के द्वारा कार्यालय में परफॉर्मेंस सिक्युरिटी जमा करने पर उनकी धरोहर राशि वापस की जा सकती है, जिसे संबंधित के आवेदन पर परफॉर्मेंस सिक्युरिटी में समायोजित भी की जा सकती है।

#### **सामग्री के मुद्रण, जांच, विलंब शुल्क एवं भुगतान:-**

1. मुद्रित किए जाने वाली सामग्री के नमूने इस कार्यालय में देख सकते हैं।
2. सफल निविदाकर्ता को मुद्रित किये जाने वाला अंश इस कार्यालय द्वारा दिया जावेगा जिसे मुद्रण हेतु आवश्यकतानुसार आपको इसकी डिजाईनिंग भी इसी समय में करना होगा, इस कार्य हेतु राशि आपकी दरों में सम्मिलित मानी जावेगी।
3. संबंधित द्वारा प्रारूप यथा संभव आदेश जारी होने के दिनांक के 2 दिवस के भीतर इस कार्यालय के संबंधित घटक को प्रस्तुत कर दिया जावे। कार्यालय के संबंधित घटक द्वारा प्रारूप उसी कार्य दिवस को अथवा अधिकतम अगले कार्यदिवस को संबंधित मुद्रणकर्ता को सौपेगे, कार्यालय द्वारा यदि अनुमोदन में इससे अधिक विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में आदेशित सामग्री प्रदाय अवधि में ऐसे विलंब दिवसों की वृद्धि मानी जावेगी।
4. दर प्रदायकर्ता को आदेश जारी दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रदाय करना होगा।
5. सामग्री मुद्रित कर प्रदाय करने पर उसकी जांच इस कार्यालय द्वारा आईआईटी रुडकी अथवा राईट्स लिमिटेड मुंबई अथवा अन्य शासकीय संस्था से कराई जा सकती है।

6. यदि प्रदाय की गई सामग्री का जीएसएम निर्धारित जीएसएम से 2.5 प्रतिशत से कम है तो, मुद्रित सामग्री का जीएसएम निर्धारित जीएसएम के अनुपात में कुल देयक की राशि में कटौत्रा किया जावेगा। प्रदाय की गई सामग्री का जीएसएम निर्धारित जीएसएम से 5 प्रतिशत से कम है, तो जीएसएम जांच में लगने वाला शुल्क भी संबंधित के देयक से काटा जावेगा।
7. यदि प्रदाय की गई सामग्री की माप नियत माप से कम है एवं उसका कार्यालय में उपयोग किया जाता है तो कम माप हेतु तथा सामग्री का मुद्रण, बाईंडिंग, फिनीशिंग एवं पैकिंग आदि खराब होने की स्थिति में इस कार्यालय की तकनीकी समिति/तकनीकी सदस्य द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार राशि का कटौत्रा किया जावेगा, जो कि आपको मान्य करना होगा।
8. यदि इस कार्यालय द्वारा विलंब से प्रदाय की गई सामग्री स्वीकार की जाती है तो, विलंब से प्रदाय सामग्री के मूल्य के आधार पर 0.5 प्रतिशत प्रतिस्पाह की दर से विलंब से प्रदाय हेतु विलंब कटौत्रा देयक की राशि में किया जावेगा। यह कटौत्रा अधिकतम 10 प्रतिशत तक किया जावेगा। इससे अधिक विलंब की स्थिति में कार्यालय द्वारा पृथक से कार्यवाही की जा सकती है।
9. यदि सामग्री निर्धारित गुणवत्ता की प्राप्त नहीं होती है एवं वह उपयोग हेतु अनुपयुक्त है, तो आपके द्वारा प्रदाय सामग्री वापिस कर दी जावेगी/आपको आदेशित समय में सामग्री परिवर्तित कर इस कार्यालय को प्रदाय करना होगी इस प्रकार परिवर्तन में लगने वाला समय प्रदाय में विलंब माना जावेगा।
10. संबंधित द्वारा सामग्री का प्रदाय पूर्ण कर देयक प्रस्तुत करने पर, संबंधित का भुगतान जीएसएम की रिपोर्ट प्राप्त/जांच होने एवं तकनीकी समिति/तकनीकी सदस्य द्वारा प्रस्तावित राशि के कटौत्रा के पश्चात्, तदानुसार किया जावेगा।

#### अन्य शर्तः—

1. मुद्रित किए जाने वाली सामग्री/सामग्रियों का स्पेसिफिकेशन दर्शित है, संबंधित को इसी स्पेसिफिकेशन अनुसार सामग्री का मुद्रण करना होगा एवं सामग्री की पैकिंग आदि करते हुए उसे नियत स्थान तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए कोई भी पृथक से चार्ज नहीं दिया जावेगा। संबंधित द्वारा दर पत्रक में दर्शित की गई राशि में कागज का मूल्य, मुद्रण का मूल्य, पैकिंग चार्ज, परिवहन चार्ज एवं समस्त व्यय सम्मिलित रहेगे।
2. मुद्रित सामग्री को पत्रक-3 में अंकित संख्या में पृथक—पृथक बंडल मजबूत सुतली से पैकिंग करने के पश्चात् पॉलीथिन मे पैक कर मुद्रित सामग्री का नाम, संख्या एवं प्रदायकर्ता का नाम पैकिंग पर (पैकिंग के एक बंडल का कुल वजन 20 कि.ग्रा. के लगभग हो) अंकित करते हुए प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु पृथक से काई भी पैकिंग एवं अन्य चार्ज देय नहीं होगा।
3. सबलेटिंग की अनुमति संबंधित फर्म को नहीं रहेगी।
4. आपको दरें पत्रक-2 में ही अंकित करना होगी। इन दरों के अतिरिक्त कोई भी राशि का भुगतान आपको नहीं किया जावेगा।
5. यदि आप उल्लेखित शर्तों की अधीन कार्य करने के लिए सहमत हैं, तो कृपया आप नियत अनुसार प्रस्ताव देने का कष्ट करें।

**संलग्नः— पत्रक-1, 2 एवं 3**

(परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)

उपार्जन अधिकारी  
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति  
भोपाल

दस्तावेजों की सूची जिसे आपको पूर्ण जानकारी अंकित करते हुए संलग्न करना है। संलग्न किए जाने वाले प्रत्येक संलग्नक पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

क्र.	दस्तावेजों की सूची	विवरण	संलग्नक क्र.
1	यदि आपने वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र का उपयोग किया है तो निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 50/- (रूपये पचास मात्र) के बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक का विवरण	राशि रूपये ..... ड्राफ्ट क्रमांक ..... बैंक का नाम एवं तिथि .....	
2	धरोहर राशि रूपये 15300/- (रूपये पन्द्रह हजार तीन सौ मात्र) का विवरण	राशि रूपये ..... ड्राफ्ट क्रमांक ..... बैंक का नाम एवं तिथि .....	
3	दर प्रदायकर्ता को इस कार्य के लिए अधिकृत होना आवश्यक है, कृपया सक्षम अधिकारी की अनुमति की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्ताव के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें।	आदेशों का विवरण	
4	दर प्रदायकर्ता को मुद्रण कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष (2016–17) एवं विगत वित्तीय वर्ष (2017–18) में कम से कम कुल राशि रूपये 8 लाख के कुल आदेश विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।	प्रमाण पत्र का विवरण	
5	फर्म/प्रोपराईटर का पेन नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति		
6	फर्म का जीएसटी नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति		
7	निविदाकर्ता को फर्म के लेटरहेड पर यह भी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा कि—“मेरी फर्म को किसी भी शासकीय/अद्वशासकीय/अशासकीय कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड नहीं किया गया है।” यदि किसी कार्यालय अथवा संस्था में ब्लेकलिस्टेड किया गया हो तो उसकी जानकारी दे।		
8	कार्यालय द्वारा जारी संपूर्ण निविदाप्रपत्र एवं सहपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के सहमति के रूप में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है		

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

फोन नं./मो.नं.....

## दर पत्रक

(पत्रक-3 में उल्लेखित स्पेसिफिकेशन के अनुसार)

Sl. N. o.	Description of Goods	Unit	Qty.	Unit Rate(In Rs.)		Total Amount (In Rs.) (4x6)
				In Figures	In Words	
1	2	3	4	5	6	7
1	Poster VBD	Per Poster	6000			
2	VBD Folder	Per Folder	300000			
3	Donor Certificate	Per Certificate	250000			
			Taxes (If any)			
			Total Amount (In Rs.) with all type of taxes and other Charges			

मेरे द्वारा आपके कार्यालय के निविदा प्रपत्र क्र. एफ 27-1220/उपार्जन/एड्स/2018/525  
 दिनांक 20.02.18 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ ली गई हैं, मैं उक्त दरों, नियम  
 एवं शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूं।

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

फोन नं./मो.नं.....

## मुद्रित सामग्री का नाम, स्पेसिफिकेशन, मुद्रण संख्या एवं पैकिंग संख्या

S.N.	Name of Item	Specification	Qty.	Packing Size	EMD Rs.
01	Poster VBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Size: 22x17inches</li> <li>• Paper: 130 GSM Art Paper</li> <li>• Printing: One Side Multy Colour Printing, Back side adhesive tape.</li> </ul>	6000 Posters	50 Posters	1200.00
02	VBD Folder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Size: A-4</li> <li>• Paper: 70 GSM, Maplitho Paper</li> <li>• Printing: Multi Colour Printing</li> <li>• Fold: Double Fold</li> </ul>	300000 Folder	50 Folder	7100.00
03	Donor Certificate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Size: 21cmx29.5cm</li> <li>• Paper: 220 GSM, Art Paper</li> <li>• Printing: can be done in 4 colour offset</li> </ul>	250000 Certificate	50 Certificate	7000.00
			<b>Total EMD</b>	<b>15300.00</b>	

\*\*\*\*\*